राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय समिति के संस्थापन प्रलेख तथा नियम एवं कानून

(जुलाई 2012 में संशोधित)



राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा (उ.प्र.)

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय समिति के संस्थापन प्रलेख तथा नियम एवं कानून

(जुलाई 2012 में संशोधित)



राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा (उ.प्र.)

© राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

सितंबर, 2012

सचिव, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा-201309 द्वारा प्रकाशित एवं मैसर्स सचदेवा प्रिटिंग प्रेस, ए-50, गोविंद पार्क, दिल्ली-110051 द्वारा मुद्रित।

संस्थापन प्रलेख

1. समिति का नाम

समिति का नाम 'राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय समिति' होगा (तत्पश्चात समिति के रूप में माना जाएगा)।

2. सिमति का पंजीकृत कार्यालय

सिमिति का कार्यालय ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह सिमिति के निर्णय के आधार पर केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली के किसी भी अन्य भाग में अवस्थित हो सकेगा। यद्यपि उपयुक्त स्थान प्राप्त करने की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए सिमिति के निर्णयानुसार गाजियाबाद, गुड़गांव जैसे सुविधा। संपन्न शहरों में अवस्थित होने के प्रयास किए जाएंगे।

3. दृष्टि, मिशन, उद्देश्य तथा प्रकार्य

दृष्टि

 गुणवत्ता पूर्ण विद्यालयी शिक्षा तथा कौशल विकास हेतु सार्वभौमिक, समावेशी और धारणीय शिक्षा लचीलेपन के साथ प्रदान करना।

मिशन

- मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा पद्धित द्वारा प्रासंगिक सतत एवं सर्वांगीण शिक्षा पूर्व-स्नातक स्तर तक प्रदान करना।
- विद्यालयी शिक्षा के सार्वभौमीकरण में योगदान देना।
- समकक्षता एवं सामाजिक न्याय के लिए प्राथमिक लक्ष्य समूहों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पुरा करना।

उद्देश्य

- संबद्ध सरकार के आग्रह पर भारत सरकार और राज्य सरकारों को विद्यालयी स्तर पर दूरस्थ और मुक्त शिक्षा प्रणाली के उपयुक्त विकास संबंधी महत्वपूर्ण व्यावसायिक परामर्श प्रदान करना।
- पूर्व स्नातक स्तर तक जीवनयापन एवं जीवनपर्यंत अधिगम के लिए आवश्यकता आधारित शैक्षिक और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करना।
- शिक्षार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा की पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम निर्माण करने में उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- पूर्व-स्नातक स्तर पर अधिगम सहायता प्रदान करने के लिए प्रभावी विद्यार्थी सहायता सेवा प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से संस्थाओं को प्रत्यायित करना।
- मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को शोध तथा विकास संबंधी गतिविधियों द्वारा सशक्त बनाना।
- राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर नेटविकांग सामर्थ्य निर्माण, संसाधन विनिमय एवं गुणवत्ता निर्धारण द्वारा मुक्त शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

प्रकार्य

- भारत में मुक्त विद्यालयी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने और स्तरीय वृद्धि के लिए पद्धतीय योजना विकसित करने के लिए कदम उठाना।
- भारत में राज्य सरकारों को राज्य मुक्त विद्यालयों का स्थापित करने और स्तर वृद्धि के लिए तकनीकी औश्र वित्तीय समर्थन प्रदान करना।
- बालिका/महिला अल्पसंख्यकों अन्य रूप से सक्षम (शारीरिक तथा मानिसक अक्षम) आदि जैसे सीमांत एवं सुविधाविहीन शिक्षार्थियों के लिए समकक्ष एवं समावेशी शिक्षा निर्माण के लिए आवश्यक कार्य योजना का विकास करना।

- पूर्व-स्नातक स्तर पर सामान्य, व्यावसायिक और सतत शिक्षा तथा जीवन समृद्धि पाठ्यक्रमों की एक बड़ी श्रृंखला प्रदान करना।
- (i) मुक्त बेसिक शिक्षा (ओबीसी), (ii) माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और (iii) व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (कौशल वृद्धि केन्द्रित) के लिए आवश्यकता आधाारित पाठ्यचर्या तथा स्व-अध्ययन सामग्री का विकास करना।
- प्रभावी पहुँच के लिए पाठ्यक्रमों एवं कार्यक्रमों की सहायता से बहुआयामी सामग्री का अनेक माध्यमों द्वारा निर्माण।
- विद्यार्थियों का सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत तथा विदेश में संस्थाओं, संगठनों तथा संस्थानों की स्थापना द्वारा प्रभावी विद्यार्थी सहायता सेवाएँ प्रदान करना।
- परीक्षाओं का संचालन तथा सफल शिक्षार्थियों को प्रमाणपत्र जारी करना।
- नव-साक्षरों को शिक्षा प्रदान करने/प्रमाणित करने के लिए समकक्षता कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के साथ कार्यक्रम करना।
- औपचारिक शिक्षा की समकक्षता और मानकों को बनाए रखते हुए अपनी विशेष पहचान बनाए रखना और निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
- मुक्त शिक्षा के क्षेत्र में शोध, अनुसंधान एवं विकासात्मक गतिविधियों को प्रारंभ करना एवं उनके परिणामों को सभी स्टेक होल्डर तक पहुँचाना।
- मुक्त शिक्षा का डाटाबेस बनाना। आंकड़े एकत्र करना।
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुक्त शिक्षा के संसाधन संगठन तथा सामर्थ्य निर्माण केन्द्र के रूप में कार्य करना।

- राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय क्षेत्र में सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के साथ भागीदारी करना।
- मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय तथा विदेशी संस्थानों, संगठनों और संस्थाओं को व्यावसायिक तकनीक परामर्श प्रदान करना।
- 4. सिमिति की आय तथा सम्पित किसी भी माध्यम से उत्पन्न हो, उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी होगी व जैसा कि सिमिति के संस्थापन प्रलेख में उल्लेखित होगी भारत सरकार द्वारा लागू शर्तों व सीमाओं के अंतर्गत समय-समय पर, संपत्ति के निपटाने के व्यय के संबंध में आय तथा संपत्ति के किसी भी भाग का व्यय अथवा स्थानांतरण किया जायेगा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से, बोनस, डिविडेंड्स व अन्य किसी प्रकार से, जो कुछ भी हो, लाभ के द्वारा, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समय पर, जो सिमिति का सदस्य रहा हो या हो अथवा अन्य कोई व्यक्ति उनके माध्यम से दावा करता है या उनमें से कोई सिमिति को दी गई किसी सेवा के बदले में किसी भी सदस्य को अथवा अन्य व्यक्तियों को सोसाइटी के लिए की गयी किसी सेवा के लिए गारिश्रमिक प्रदान नहीं किया जा सकेगा।
- 5. भारत सरकार समय-समय पर सिमिति के कार्य तथा प्रगित की समीक्षा के उद्देश्य से एक अथवा व्यक्तियों की नियुक्ति और उनके मामलों की जांच-पडताल करेगी।
- 6. भारत सरकार उपरोक्त के आधार पर सिमिति को निर्देश जारी करेगी जो कि सिमत के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और उपयुक्त तथा प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक समझी जाएगी और सिमिति इन निर्देशों को मानने के लिए बाध्य होगी।
- 7. सिमिति पंजीकरण कानून 1860 (पंजाब संशोधन कानून 1975) की धारा-2, जो केन्द्र शासित क्षेत्र दिल्ली तक विस्तारित है के अंतर्गत सिमिति के प्रथम कार्यकारिणी बोर्ड के सदस्यों जिन्हें इसके कार्यों का प्रबंधन, नियम और विनियम सौंपा जाना है, के नाम, पते, पदनामों तथा व्यवसायों का विवरण इस प्रकार है:

	नाम	पदनाम एवं पता	स्थिति
1.	फा. टी.वी. कुनूनुकल	सलाहकार, मा.स.वि.मं. नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री एल.एस. नारायनन	संयुक्त सचिव एवं	
		वित्तीय सलाहकार	सदस्य
		मा.स.वि.मं., शिक्षा विभाग	
		नई दिल्ली	
3.	श्री एल.डी. मिश्रा	संयुक्त सचिव (एई) एवं	सदस्य
		महानिदेशक	
		राष्ट्रीय साक्षरता मिशन	
		शिक्षा विभाग, मा.स.वि.मं.,	
		नई दिल्ली	
4.	श्री एच.एस. सिंघा	अध्यक्ष, सीबीएसई,	सदस्य
		शिक्षा केन्द्र	
		प्रीत विहार, दिल्ली	
5.	श्री जे.एस. राजपूत	शिक्षाविद्	सदस्य
		151, आराधना नगर,	
		कटरा सुलतानाबाद,	
		भोपाल (म.प्र.)	
6.	श्री ए. बेनर्जी	शिक्षाविद्	सदस्य
		बेला बितान,	
		ऋषि बंकिम चटर्जी मार्ग	
		पी.ओ. बानासात, जिला 24 परगना,	
		(उत्तर) (पश्चिम बंगाल)	
7.	डॉ. के.डी. शर्मा	शिक्षाविद्	सदस्य
		जिला एवं पोस्ट परागपुर	
		जिला कांगड़ा, हि.प्र.	
8.	श्री जितेंद्र सिंह	उप निदेशक	सचिव
		ओपन स्कूल (सीबीएसई)	
		39, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया,	
		दिल्ली-110052	

हम, अनेक व्यक्ति जिनके नाम तथा पते नीचे दिए जा रहे हैं स्वयं को संस्थापन प्रलेख में उल्लिखित उद्देश्यों से जोड़ना चाहते हें। यहां हमारे नाम संस्थापन प्रलेख में दिए जा रहे हैं। हम सभी अपने हाथ से स्वयं को समिति पंजीकरण कानून 1860 (पंजाब संशोधन कानून 1857) जो दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश के लिए विस्तारित है के अंतर्गत आज नवंबर माह के पच्चीसवें दिन वर्ष उन्नीस सौ नवासी को हस्ताक्षरित करते हैं।

_			
	नाम	पदनाम एवं पता	स्थिति
1.	एच.एस. सिंघा	अध्यक्ष,	ह.
		सीबीएसई,	
		शिक्षा केन्द्र	
		प्रीत विहार, दिल्ली	
2.	ए. बनर्जी	शिक्षाविद्	ह.
		बेला बितान,	
		ऋषि बंकिम चटर्जी मार्ग	
		पी.ओ. बानासात,	
		जिला 24 परगना,	
		(उत्तर) (पश्चिम बंगाल)	
3.	लक्ष्मीधर मिश्रा	संयुक्त सचिव (एई) एवं	ह.
		महानिदेशक	
		राष्ट्रीय साक्षरता मिशन	
		शिक्षा विभाग, मा.स.वि.मं.	
		कमरा नं. 109, सी-विंग	
		शास्त्री भवन, नई दिल्ली	
4.	एस.पी. तूली	संयुक्त सचिव (ए)	ह.
		शिक्षा विभाग,	
		मा.स.वि.मं., नई दिल्ली	
5.	एल.एस. नारायनन	संयुक्त सचिव एवं	ह.
		वित्तीय सलाहकार	
		मा.स.वि.मं.,	
		शिक्षा विभाग, नई दिल्ली	

6.	एस.के. राय	61, बापूजी नगर, भुबानेश्वर –751000 उड़िसा	ह.
7.	जे.एस. राजपूत	151, आराधना नगर, कटरा सुलतानाबाद, भोपाल (म.प्र.)	ह.
8.	गीता राम	ग्राम एवं पोस्ट पानीहारी जिला सिरसा, हरियाणा	ह.
9.	सरिया दास	मिशन कम्पाउंड निसराबाद, राजस्थान-305601	ह.
10.	के.डी. शर्मा	जिला एवं पोस्ट परागपुर जिला कांगड़ा, हि.प्र.	ह.
11.	टी.वी. कुनूनुकल	सलाहकार, मा.स.वि.मं., नई दिल्ली	ह.
12.	पी.के. जोसेफ	पुराकारी, एस.के. मंगलम, अथिरामपुजहा, केरल	ह.
13.	जी. बालासुब्रामणियम	लाल बेगम सड़क ट्रिप्लीकेन, मद्रास-600005	ह.
14.	जितेंद्र सिंह	उप निदेशक ओपन स्कूल (सीबीएसई) 39, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110052	ह.
15.	वी.एस. शर्मा	लेखा अधिकारी ओपन स्कूल (सीबीएसई) 39, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110052	ह.

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय सोसाइटी के नियम तथा कानून

1. संक्षिप्त नाम

इन नियमों और विनियमों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय सोसायटी के नियम और विनियम कहा जा सकता है।

2. व्याख्याएँ

संदर्भ के अलावा आवश्यक है

- (i) "सोसायटी" का मतलब राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय सोसायटी
- (ii) *** * (हटा दिया गया)
- (iii) "अध्यक्ष" का मतलब राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय सोसायटी का अध्यक्ष
- (iv) "उपाध्यक्ष" का मतलब राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय सोसायटी का उपाध्यक्ष
- (v) "अध्यक्ष" का मतलब राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का अध्यक्ष
- (vi) **** (हटा दिया गया)
- (vii) "महासमिति" का मतलब राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय सोसायटी की महासमिति
- (viii) "कार्यकारी बोर्ड" का मतलब राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय सोसायटी का कार्यकारी बोर्ड

- (ix) सरकार का अर्थ है सिमिति से संबद्ध भारत सरकार का प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग।
- (x) संदर्भानुसार एक वचन शब्द बहुवचन भी पढ़े जाएंगे (विपरीत क्रम से भी मान्य)। इसी प्रकार संदर्भानुसार जैसे एकवचन में बहुवचन अथवा उसका विपरीत समाहित माना गया उसी प्रकार पुल्लिंग में स्त्रीलिंग समाहित माना जाए।

3. समिति के प्राधिकरण

- (a) सामान्य सभा
- (b) कार्यकारी बोर्ड
- (c) स्थायी सिमिति के अंतर्गत वित्त सिमिति और अन्य सिमितियाँ या उपसिमितियाँ जो कि कार्यकारी बोर्ड द्वारा कोई कार्य या अधिक कार्य करवाने के लिए गठित की जाती है।

* महासमिति के स्थान पर प्रस्थापित, कार्यकारी समिति संदर्भ संख्या 3 दिनांक 22.04.1992

4. सामान्य सभा के सदस्य

समिति निम्नलिखित सदस्यों द्वारा गठित की जाएगी:

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मंत्री राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय समिति के सभापित होंगे और महासमिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।
- (ii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के राज्य मंत्री उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय सिमिति के उप सभापित होंगे और जो सभापित की अनुपस्थिति में महासिमिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

- (iii) शिक्षा सचिव, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
- (iv) संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय समिति से जुड़े रहेंगे।
- (v) अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
- (vi) **** (हटा दिया गया है)
- (vii) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के सिचव जो सिमिति के सिचव के रूप में कार्यरत रहेंगे।
- (viii) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के सभी विभागाध्यक्ष
- (ix) वित्त सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- (x) निदेशक, एनसीईआरटी
- (xi) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान
- (xii) अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्
- (xiii) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, दूरदर्शन तथा आकाशवाणी प्रत्येक से संयुक्त सचिव के ऊपर के स्तर के तीन नामित।
- (xiv) महिला एवं बाल कल्याण विभाग से संयुक्त सचिव स्तर के ऊपर के नामित
- (xv) उप-कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
- (xvi) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के महानिदेशक
- (xvii) कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के ऊपर के नामित।
- (xviii) श्रम मंत्रालय के संयुक्त सचिव के ऊपर के स्तर के नामित
- (xix) शिक्षा सचिव, दिल्ली सरकार (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), दिल्ली

- (xx) निदेशक/राज्य मुक्त विद्यालय का एक प्रमुख/ पत्राचार विद्यालय/ उपकुलपित राज्य मुक्त विश्वविद्यालय (क्रमवार)
- (xxi) आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन
- (xxii) निदेशक, नवोदय विद्यालय समिति
- (xxiii) किसी एक महिला विश्वविद्यालय के उप-कुलपति
- (xiv) एनआईओएस द्वारा प्रस्तावित और मा.स.वि.मं. द्वारा नामित दो औद्योगिक प्रतिनिधि।
- (xv) कार्यकारी बोर्ड के सभी सदस्य जो, ऊपर शामिल नहीं हैं।
- (xvi) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा प्रस्तावित और मा.स.वि.मं. द्वारा नामित कोई दो शिक्षाविद।

5. सदस्यता का कार्यकाल

- (क) कार्यालय में कार्यरत एक्स सदस्यों का कार्यकाल उनकी आधिकारिक स्थिति के साथ ही समाप्त हो जाएगा।
- (ख) कार्यालय के अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों तक जारी रहेगा। अप्रैल माह में नई नियुक्तियां की जायेंगी।
- (ग) कोई भी व्यक्ति जो महासिमिति का सदस्य है वह सिमिति की बैठक में भाग लेने के लिए किसी अन्य का प्रतिनियुक्त करने की स्वतंत्रता/स्वायतता रखता है और किसी को बैठक में भेज सकता है। इस प्रकार के प्रतिनिधि के पास सदस्यता के सभी अधिकार एवं विशेषाधिकार केवल उस बैठक के लिए होते हैं।
- (घ) तात्कालिक कार्यकारी सदस्यों के अतिरिक्त समस्त बाहर वाले सदस्य पुन: नियुक्ति के पात्र होंगे।

- (ड.) कार्यकारी सदस्य के अतिरिक्त अन्य सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, यदि :
 - ऐसा सदस्य इस्तीफा दे दे या मानसिक रूप से असंतुलित हो जाए या मेल जोल ना बन पाए या किसी अपराधा या चरित्रहीनता में संलिप्त हो।
 - वह तीन लगातार बैठकों में बिना किसी आज्ञा के अनुपस्थित रहा हो।
- (च) सिमिति की सदस्यता से इस्तीफा अध्यक्ष का दिया जाएगा और यह महासिमिति के स्वीकार करने पर ही प्रभावी माना जाएगा। सिमिति की सदस्यता को किसी भी उपरोक्त कारणों से होने पर रिक्ति को भरने का प्राधिकार होगा और नियुक्त सदस्य केवल शेष कार्यकाल के लिए होंगे।
- (छ) उपरोक्त कारणों से किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त होने की स्थिति में स्वत: ही अन्य गठित सिमितियों से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
- (ज) यद्यपि सोसाइटी किसी रिक्ति के बावजूद कार्य करती रहेगी तथा इस तरह की रिक्ति इसमें किसी व्यक्ति की नियुक्ति अथवा नामांकन पर कोर्ट प्रभाव नहीं डालेगी तथा किसी रिक्त मात्र वजह से सोसाइटी के किसी कार्य अथवा कार्यवाही को अमान्य नहीं माना जा सकता है अथवा इसके किसी सदस्य की नियुक्ति अथवा नामांकन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (झ) महासमिति तब तक कार्यरत रहेगी जब तक नई रिक्तियाँ नामित नहीं होती।
- (ञ) महासिमिति तथा कार्यकारी परिषद का गठन भारत सरकार की स्वीकृकत से ही होगा।

6. सामान्य सभा की शक्तियाँ और कार्य

- (क) सोसाइटी को दृढ़ अनुभाविक सलाह तथा परामर्श प्रदान करते हुए सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी आम सभा में निहित होगी, यह सोसाइटी को व्यापक नीति निर्देशन तथा दूरदर्शिता प्रदान करेगी।
- (ख) यह सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट का आलोचनात्मक मूल्यांकन करेगी तथा उस पर टिप्पणी देगी।
- (ग) यह सोसाइटी के वार्षिक बजट का अनुमोदन करेगी।
- (घ) सामान्य रूप में, आम सभा, यह सुनिश्चित करने में सहायता करेगी कि सोसाइटी सार्वजनिक रूप से जवाबदेह बनी रहेगी तथा यह मानक राष्ट्रीय दस्तावेजों से तालमेल बनाते हुए अपनी शक्तियों और दायित्वों का प्रयोग करेगी।

7. बैठकें

- (क) आम सभा की वार्षिक बैठक, उस तारीख तथा समय पर आयोजित होगी जिसका निश्चय सभापित करेगा तथा इस बैठक में अध्यक्ष द्वारा वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट के साथ सोसाइटी की संपरीक्षित लेखा खातों तथा अगले वर्ष के अनुमानित बजट को भी रखा जायेगा।
- (ख) सामान्यत: आम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सभापति करेगा। यद्यपि सभापति की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेगा।
- (ग) बैठक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के सचिव के हस्ताक्षरों के साथ अध्यक्ष की सलाह के आधार पर सभापति द्वारा आहूत की जायेगी।

- (घ) अध्यक्ष की सलाह के आधार पर सभापित द्वारा विशेष बैठक भी बुलायी जा सकती है, यदि सभापित को यह उचित प्रतीत होता है अथवा इस तरह की बैठक कम से कम आठ सदस्यों के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर भी आहूत की जा सकती है।
- (ड.) सोसाइटी की प्रत्येक बैठक में उपस्थित में से दस सदस्यों अथवा 1/3 सदस्यों जिसकी की संख्या कम हो गणपूर्ति के रूप में मानी जायेगी।
- (च) बैठक में सभी विवादित बिंदु मतदान के माध्यम से निर्धाारित किये जायेंगे। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार है तथा वोटों की संख्या बराबर होने पर सभापति केवल निर्णायक मत का प्रयोग करेगा।
- (छ) सोसाइटी की बैठक में विचार-विमर्श के लिए अध्यक्ष की सलाह पर सभापित राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति में यदि आवश्यक प्रतीत हो तो, एक अथवा एक से अधिक व्यक्तियों को बुला सकते हैं परन्तु इस तरह बुलाये गये व्यक्तियों को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

8. कार्यकारी बोर्ड की शक्तियाँ तथा कार्य

(क) सामान्यत: सोसाइटी की सभी शक्तियाँ, इसके कार्यों का प्रबंधन तथा इसे आसानी से और प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए सक्षम बनाने का कार्य कार्यकारी बोर्ड में निहित है। हालांकि यह अपनी शक्तियों का प्रयोग सोसाइटी के विशेष कार्य तथा लक्ष्य और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तथा आम सभा द्वारा प्राप्त सलाह के आधार पर करता है।

- (ख) विशेष तौर पर कार्यकारी बोर्ड की निम्नलिखित मूल शक्तियाँ और कार्य होंगे :
 - क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यक्रमों तथा नीतियों की अग्रिम रणनीति बनाना।
 - उपयुक्त निर्णय लेना।
 - प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
 - समीक्षा कार्यों का संपादन करना।

(ग) कार्यकारी बोर्ड के निम्नलिखित सदस्य होंगे :

- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का अध्यक्ष जो कार्यकारी बोर्ड का भी अध्यक्ष होगा।
- ****(हटा दिया गया)
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का सिचव जो इसका सदस्य सिचव भी होगा।
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के सभी विभागों के प्रमुख
- शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नामांकित व्यक्ति तथा मानव संसाधन विकास मंत्रलय के एकीकृत वित्त प्रभाग द्वारा नामांकित व्यक्ति।

निम्नलिखित क्षेत्रों में से प्रत्येक से एक विशेषज्ञ:

- दूरस्थ शिक्षा
- विकास शिक्षा
- महिलाओं का विकास और शिक्षा

- उद्योग
- मीडिया
- प्रौद्योगिकी
- व्यासायिक/तकनीकी शिक्षा
- प्रौढ़ शिक्षा

9. बैठकें

कार्यकारी बोर्ड की बैठक अपेक्षित अनुरूप होंगी परन्तु वर्ष में कम से कम दो बैठकें अवश्य होंगी।

बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या की एक तिहाई होगी।

10. उप नियम

- (क) सोसाइटी के कार्यों का प्रशासन और प्रबंधन करने के लिए कार्यकारी बोर्ड के पास संस्थापन प्रलेख और सोसाइटी के नियमों और विनियमों के अनुरूप समय-समय पर उपनियम बनाने और जोड़ने, बदलने, संशोधित करने अथवा रद्द करने की शक्तियाँ होंगी।
- (ख) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित मामलों के लिए इस तरह के उपनियम प्रदान किया जा सकते हैं।
 - i) बजट अनुमानों को तैयार करने तथा स्वीकृत करने के लिए, खर्चों की स्वीकृति, अनुबंधों का निर्माण तथा निष्पादन, सोसाइटी की निधियों का निवेश तथा इस तरह के निवेशों की बिक्री तथा बदलाव और लेखा तथा संपरीक्षा।

- ii) समय-समय पर इसके द्वारा गठित की गयी विभिन्न सिमितियों की शिक्तियों, कार्यों तथा कार्यव्यवहार को परिभाषित करना तथा उनके सदस्यों की अविध का निर्धारण करना।
- iii) विभिन्न श्रेणियों शैक्षिक, प्रशासनिक, तकनीकी, पर्यवेक्षी अथवा लिपिकीय वर्ग के पदों का सृजन तथा इन पदों के लिए चयन तथा नियुक्तियां।
- iv) सोसाइटी के समुचित प्रशासन के लिए सेवा नियमों का निर्माण करना तथा इसके कार्मिक, नियुक्तियों की कार्यकाल अविध की शर्तों सिहत परिलब्धियां, भत्ते, सोसाइटी के कर्मचारी के अनुशासन के नियम तथा सेवा की शर्ते, साथ ही सोसाइटी के सदस्यों के कल्याण के लिए मानदंडों का निर्धारण।
- v) निधियों, अनुदानों तथा भत्तों की स्थापना तथा प्रबंधन के लिए।
- vi) सोसाइटी के लिए सील का निर्धारण करना तथा इसकी सुरक्षित अभिरक्षा तथा सील के उचित प्रयोग के लिए।
- vii) सोसाइटी के कार्यों को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक उपकरणों तथा सुविधाओं के साथ भवन, परिसर, फर्नीचर तथा अन्य उपकरण प्रदान करना।
- viii) सोसाइटी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तथा इसके कार्यों के उचित प्रशासन के लिए जो आवश्यक हो, से संबंधित सभी मामलों के लिए।
- ix) जब तक सोसाइटी अपने स्वयं के उप नियमों का निर्माण नहीं करा लेती तथा अंतरिम समयाविध तक केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अथवा अन्य के नियमों को ग्रहण कर सकती है।

- (ग) सेक्शन 10 (क) के अंतर्गत किए गए संस्थापन प्रलेख तथा नियमों एवं कानूनों में संशोधन भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रभाव मे नहीं आयेंगे।
- (घ) सेक्शन 10 (ख) के अंतर्गत बनाये गये उपनियम कार्यकारी बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात ही प्रभाव में आयेंगे।
- (ड.) सोसाइटी के कार्यों के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति, तथा बजट उपबंधों के अनुसार उनके पारिश्रमिक राशि का निर्धारण तथा उनके कर्तव्यों का निर्धारण करने की शक्ति इन नियमों तथा विनियमों के अनुसार कार्यकारी बोर्ड अथवा कार्यकारी बोर्ड द्वारा अधिकृत व्यक्ति के पास होगी।
- (च) सोसाइटी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष को अथवा इसके सिकी अन्य सदस्य को कुछ प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारियों के प्रयोग के लिए प्रतिनिधि नियुक्त कर सकती है तथा अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रयोग अथवा विमुक्ति के अंतर्गत कुछ उचित प्रतीत होने वाले कर्तव्यों तथा उल्लेखित सीमाओं का बंधन लगाया जा सकता है।
- (छ) बैठक के आयोजन के संबंध में इसके किसी सदस्य को नोटिस भेजने में हुई आकस्मिक चूक अथवा इस तरह के नोटिस की अप्राप्ति के कारण बैठक की कार्यवाही रद्द नहीं हो सकेगी।
- (ज) सोसाइटी अथवा कार्यकारी बोर्ड अथवा अन्य सिमितियों का कोई सदस्य किसी तरह के पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा। सोसाइटी द्वारा नियुक्त किये गये गैर सरकारी सदस्य यद्यपि सोसाइटी अथवा सोसाइटी के किसी कार्य के लिए किसी बैठक में उपस्थित होते हैं जो इसके लिए बनाये गये उपनियमों के अनुसार यात्रा भते तथा दैनिक भत्तों को प्रदान किया जा सकता है।

11. अध्यक्ष की नियुक्ति, शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ

- (क) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष को भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। उनकी नियुक्ति भारत सरकार के नियम एवं शर्तों के तहत पांच वर्षों या 62 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो के लिए की जाती है।
- (ख) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जिम्मेदारियों की श्रेणी निम्नलिखित रूप में है।
 - नए-नए विचारों को पैदा करने में नेतृत्व प्रदान करना।
 - एनआईओएस के विरष्ठ अधिकारियों एवं शैक्षिक विभाग की टीम का निर्माण एवं कदम उठाने के लिए टीम भावना और प्रेरणा का उच्चस्तरीय बढ़ावा देना।
 - एनआईओएस को यह सुनिश्चित करना है कि सभी विभागों द्वारा काम लोकाचार और उत्कृष्टता के उच्च मानकों की एक पोषण करने के लिए सावधान करना है।
 - विभागों के प्रमुख के लिए विशेष रूप से उन्हें सहायता के लिए और उन लोगों के साथ काम करने के लिए कार्रवाई की नीतियों और कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए उचित निर्णय लेने के लिए, उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से समीक्षा बैठकों का आयोजन, व्यक्तिगत और व्यावसायिक विभाग के लिए सुविधा और समर्थन प्रदान करते हैं।
 - सचिव और सभी विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारियों,
 और कार्यों एवं शीर्ष प्रबंधन के कार्यों और जिम्मेदारियों में साझा करना।

 संस्था के लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक मानक बनाना।

12. उपाध्यक्ष के अधिकार एवं जिम्मेदारियाँ

*****(हटा दिया गया है।)

13. सचिव के अधिकार एवं जिम्मेदारियाँ

सचिव संस्था का प्रशासनिक प्रमुख होता है वह उस सभी विशिष्ट शक्तियों और जिम्मेदारियां हैं जो उसको अध्यक्ष द्वारा सौंपी गयी है और वह उपनियमों में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेगा।

प्रशासन और लेखा विभागों के प्रमुखों के रूप में वह धारा 14 में दिए गए मानदंडों के अनुसार इन शक्तियों का प्रयोग करेगा।

14. सभी विभागाध्यक्षों के अधिकार एवं जिम्मेदारियाँ

विभागों के प्रमुखों की निम्नलिखित अधिकार एवं जिम्मेदारियां :

- विभाग में उनकी टीम के सदस्यों के साथ, मसौदा नीतियों और विभाग के लिए कार्रवाई के कार्यक्रमों के अल्पकालिक और दीर्घकालीक में साथ देना। कार्य हर विभाग की प्रकृति के अनुसार अलग-अलग होता है एवम् प्रत्येक विभाग की पहचान के लिए विशेष रूप से आवश्यक कार्य और अन्य विभागों के साथ आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभाग के लिए संसाधनों को व्यवस्थित करने के लिए इस तरह की नीतियों और कार्यक्रमों को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
- विभाग के सभी अधिकारियों एवं सभी श्रेणी के कर्मचारियों की टीम का निर्माण।

- निर्धारित मानदंडों एवं प्राधिकारों के अंतर्गत व्यय की मंजूरी देना।
- विभाग के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को व्यक्तिगत एवं व्यवसायिक कार्य प्रदान करने की जिम्मेदारी।
- विभाग में आयोजित बैठकों के सदस्य सचिव निश्चित करे कि एक विभाग अन्य विभागों के साथ सहयोग से मिलकर कार्य करेंगे।
- निश्चित करें कि विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर कार्य करेंगे।
- विभाग में आवश्यक पर्यवेक्षण हो ताकि सभी कर्मचारी/ अधिकारी विभाग में लागू होने वाले नियम, विनियम व रा.मु.वि. के लिए लागू होने वाले उपनियमों में निहित निर्देशों का पालन करे।

15. संस्था के द्वारा व संस्था के खिलाफ मुकदमा

संस्था के द्वारा व संस्था के खिलाफ होने वाले मुकदमों को संस्था के सचिव के नाम जारी किया जा सकता है।

16. अनुबंध और समझौते

सभी अनुबंध एवं समझौतों व संस्था की ओर से होने वाले समझौते/अनुबंध संस्था के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

*17. खाते और लेखा परीक्षा

(i) संस्था संस्थान के सभी खातों, वार्षिक प्राप्ति व अदायगी खाता, देनदारियों व परिसंपत्तियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में नियंत्रक व महालेखा परिक्षक के परामर्शानुसार बनाएगा।

- (ii) संस्था के सभी खाते नियंत्रक व महालेखा परीक्षक या (किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो कि महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाएगा) के द्वारा वार्षिक रूप से जांचे जायेंगे जिसका खर्च संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।
- (iii) नियंत्रक व महालेखा परीक्षक व (अन्य व्यक्ति जो कि म.ले. परी. द्वारा नियुक्ति किया जाएगा) को वह सभी अधिकार व सुविधाएँ होगी जो इसी तरह के अन्य संस्थानों के लेखा परीक्षा व खाते विभाग को प्राप्त होती है।
- (iv) संस्था के सालाना खाते विधिवत रूप से भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित होने के पश्चात भारत सरकार को अग्रेषित किए जायेंगे व सरकार उसे वित्तीय वर्ष के 9 महीने के अंदर संसद के पटल पर प्रस्तुत कर सकें।

*18. वार्षिक रिपोर्ट

संस्थान, भारत सरकार को अपने कार्य, लेखा परीक्षा, रिपोर्ट, अपने खातों की वार्षिक रिपोर्ट अंग्रेजी व हिंदी में बनाकर भेजेगा तािक सरकार गत लेखा वर्ष के 9 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के सन्मुख प्रस्तुत कर सकें।

19. संस्थान का विघटन

भारत सरकार के संकल्प के अनुसार, संस्थान के विघटन होने की दशा में यह संस्थान सरकार की उपयुक्त प्राधिकारी से पूर्व अनुमित प्राप्त करने के बाद पंजीकरण अधिनियम (xxi) 1860 की धारा 13 के प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।

^{*(}भारत सरकार के पत्र क्रमांक 5-23/92-एससीएच. 3 दिनांकित 17/7/92 द्वारा अनुमोदित)

20. अधिनियम के आवेदन

सिमिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के रूप में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए लागू की गई धारा के तहत सभी प्रावधानों के अंतर्गत आएगी।

21. अत्यावश्यकता प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस संस्थान के नियमों और कानूनों की सही प्रति है।

 ह.
 ह.
 ह.

 (अध्यक्ष)
 (सचिव)
 (सदस्य)

Memorandum of Association and Rules and Regulations of

National Open School Society

(Amended up to July 2012)



National Institute of Open Schooling

A-24/25, Institutional Area, Sector-62, NOIDA (U.P.)

Memorandum of Association and Rules and Regulations of

National Open School
Society

(Amended up to July 2012)



National Institute of Open Schooling

A-24/25, Institutional Area, Sector-62, NOIDA (U.P.)

© National Institute of Open Schooling

September, 2012 (200 copies)

Published by the Secretary, National Institute of Open Schooling, A-24/25, Institutional Area, Sector-62, Noida-201309 and Printed at M/s Artxel, B-22, Sector-63, NOIDA, U.P.

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

1. The Name of the Society

The Name of the Society shall be the "National Open School Society" (here-in-after referred to as the Society).

2. The Registered Office of the Society

The office of the Society is located at A-24-25, Institutional Area, Sector-62, NOIDA, U.P. It shall be located in any other part of the Union Territory of Delhi, as the Society may decide. However, in view of the difficulties in getting a suitable place, efforts would be made in locating the Society at any of the satellite towns like Ghaziabad, Gurgaon etc. as the Society may decide.

3. Vision, Mission, Objectives and Functions

Vision

 "Sustainable inclusive learning with universal and flexible access to quality school education and skill development."

Mission

- Providing relevant, continuing and **holistic** education up to pre-degree level through Open and Distance Learning System.
- Contributing to the Universalisation of School Education.
- Catering to the educational needs of the prioritized target groups for equity and social justice.

Objectives

- To provide professional advice to the Government of India, and to the States, regarding proper development of Open and Distance Learning system at school level in response to requests from the concerned Government/s or suo moto.
- To develop need based Academic and Vocational Education Programmes for livelihood and lifelong learning up to pre-degree level.
- To attain excellence in developing quality Open and Distance Learning curricula and courseware for learners.
- To accredit institutions for developing effective learner support system to facilitate learning learning up to pre-degree level.
- To strengthen the Open and Distance Learning system through Research and Development activities.
- To promote open schooling at national and global level by networking, capacity building, sharing of resources and quality assurance.

Functions

- To take steps for developing strategy plans for promoting and up scaling the Open Schooling programme in India;
- To provide technical and financial support to State Governments in India for setting up and up scaling of State Open Schools (SOSs);

- To develop needed action plan for making education equitable and inclusive for the marginalized and disadvantaged groups like girl/women, minorities, differently- able (physically and mentally challenged) etc.;
- To offer a wide spectrum of courses of study in general, vocational and continuing education and life enrichment courses up to pre-degree level;
- To develop need based Curricula and Self Learning Materials for (I) Open Basic Education (OBE), (II) Secondary and Senior Secondary Education, and (III) Vocational Education and Training (VET) Programmes with focus on skill development;
- To develop multi-media and multi-channel delivery modes for effective transaction of courseware to support courses and programmes;
- To provide effective student support services for facilitating learners by establishing study centres in agencies, organizations and institutions in India abroad;
- To conduct examinations and issue certificates to successful learners;
- To partner with National Literacy Mission under the Equivalency Programme for providing education/certification to neoliterates;
- To promote quality of learning in ODL through Monitoring, Supervision and Evaluation, maintaining equivalence of standards with the formal education system, while retaining its own distinct character;

- To undertake research, innovation and development activities in the area of Open Schooling and disseminate the findings to all stakeholders;
- To establish a data base on Open Schooling;
- To act as Resource Organization and Capacity Building Centre in open schooling at national as well as international level;
- To collaborate with national and international organizations for promotion of Open schooling;
- To partner with Government schemes and programmes at school sector for achieving the national goals and objectives;
- To provide professional/technical consultation in field of ODL to institutions/organizations/ agencies in India and abroad.
- 4. The income and property of the Society, howsoever derived, shall be applied towards the promotion of the objects thereof and as set forth in The Memorandum of Association of the Society, subject to the limitations and conditions imposed by the Government of India, from time to time, concerning the expenditure in the disposal of properties. No portion of the income or property of the Society shall be paid or transferred, directly or indirectly, by way of dividends, bonus or otherwise, howsoever, by way of profit, to the persons who, at any time, are or have been members of the Society or to any person claiming through them or any of them, provided that nothing herein contained shall prevent the payment in good faith of remuneration to any member thereof or other persons in return for any service rendered to the Society.

- 5. Government of India, from time to time, shall appoint one or more persons to review the work and progress of the Society, and hold enquiry into the affairs thereof.
- 6. The Government of India on the basis of the above, will issue such directions to the Society as it may consider necessary for the furtherance of the objectives of Society and for enduring its proper and effective functioning and the Society will be bound to comply with such directions.
- 7. The names, addresses, designations and occupations of the members of the first Executive Board of Society, to whom the management of its affairs was entrusted, by the Rules and Regulations of the Society, as required under section-2 of the Societies Registration Act of 1860 (Punjab Amendment Act 1957) as extended to the Union Territory of Delhi are as follows.:

	Name	Designation and Address	Status
1.	Fr. T.V. Kunnunkal	Consultant, Ministry of HRD, New Delhi	Chairman
2.	Shri L.S. Narayanan	Jt. Secy & Financial Adviser, Ministry of HRD, Department of Education, New Delhi	Member
3.	Shri L.D. Mishra	Jt. Secy. (AE) & Director General, National Literacy Mission, Deptt. of Edu. MHRD, New Delhi	Member
4.	Shri H.S. Singha	Chairman, CBSE, Shiksha Kendra, Preet Vihar, Delhi	Member

5.	Shri J.S. Rajput	Educationist, 151, Aradhana Nagar, Katra Sultanabad, Bhopal (M.P)	Member
6.	Shri A. Banerji	Educationist, Bela Bitan, Rishi Bankim Chatterjee Road, P.O. Banasat, Distt. 24 Parganas, (W.B)	Member
7.	Dr. K.D. Sharma	Educationist, Vill &P.O. Pragpur, Distt. Kangra (H.P)	Member
8.	Shri Jitendra Singh	Dy. Director, Open School (CBSE) 39, Wazirpur Indl. Area, Delhi	Secretary

We, the several persons, whose names and addresses are given below, having associated ourselves for purposes described in this Memorandum of Association, do hereby subscribe our names to this Memorandum of Association and set our respective hands there unto and form ourselves into a Society under the Societies Registration Act (XXI of 1860), Punjab Amendment Act, 1957 as extended to the Union Territory of Delhi, this 21st Day of November one thousand nine hundred and eighty nine.

	Name	Designation and Address	Status
1.	H.S. Singha	Chairman,	Sd/-
	_	CBSE,	
		Shiksha Kendra,	
		Preet Vihar, Delhi	
2.	A. Banerji	Educationist,	Sd/-
	•	Bela Bitan,	
		Rishi Bankim Chatterjee Road,	
		P.O. banasat,	
		Dist. 24 Parganas,	
		(North) (W.B)	

3.	Lakshmidhar Mishra	Jt. Secretary (AE) and Director General, National Literacy Mission, Deptt. of Edu. MHRD, Room No. 109, C-Wing Shastri Bhawan, New Delhi	Sd/-
4.	S.P. Tuli	Jt. Secy. (A), Deptt. of Education, MHRD, New Delhi	Sd/-
5.	L.S. Narayanan	Jt. Secy & Financial Adviser, Ministry of HRD, Deptt. of Education, New Delhi	Sd/-
6.	S.K. Ray	61, Bapuji Nagar, Bhubaneshwar –751000 Orissa	Sd/-
7.	J.S. Rajput	151, Aradhana Nagar, Katra Sultanabad, Bhopal, (M.P)	Sd/-
8.	Geeta Ram	Vill. & P.O. Panihari District Sirsa, Haryana	Sd/-
9.	Saria Das	Mission Compound Nasirabad, Rajasthan-305601	Sd/-
10.	K.D. Sharma	Vill & P.O. Pragpur Distt. Kangra, H.P.	Sd/-
11.	T.V. Kunnunkal	Consultant, Ministry of HRD, New Delhi	Sd/-
12.	P.K Joseph	Purakkary, S.K. Mangalam, Athirampuzha, Kerala	Sd/-

13. G. Balasubramanian	Lal Bagum Street, Triplicane, Madras-600005	Sd/-
14. Jitendra Singh	Dy. Director Open School (CBSE) 39, Wazirpur Indl. Area, Delhi-110052	Sd/-
15. V.S. Sharma	Accounts Officer, Open School (CBSE) Wazirpur Indl. Area, Delhi-110052	Sd/-

RULES AND REGULATIONS OF NATIONAL OPEN SCHOOL SOCIETY

1. Short Title

These Rules and Regulations may be called the Rules and Regulations of the National Open School Society.

2. Interpretations

Unless the context otherwise requires;

- (i) "Society" means the National Open School Society.
- (ii) *** * (deleted)
- (iii) "President" means the President of the National Open School Society.
- (iv) "Vice-President" means the Vice- President of the National Open School Society.
- (v) "Chairman" means the Chairman of the National Institute of Open Schooling.
- (vi) **** (deleted)
- (vii) "The General Body" means the General Body of the National Open School Society.
- (viii) "The Executive Board" means the Executive Board of the National Open School Society.

- (ix) "The Government" shall mean the administrative Ministry or Department of the Government of India concerned with the Society.
- (x) Words denoting singular number shall include also the plural and vice versa, according to the context, similarly, words denoting the masculine gender shall include also the female feminine gender, unless the context precludes it.

3. Authorities of the Society

- (a) The General Body;
- (b) The Executive Board;
- (c) Standing Committees, including the Finance Committee, and other Committees or sub-committees which the *Executive Board may set up for discharging any one or more of its functions.

4. Members of the General Body

The Society shall consist of the following members;

(a) President of the National Open School Society shall be the Minister of Human Resource Development, Government of India and will chair the General Body Meetings.

^{*} Substituted in place of General Body, E.B. Res. No. 3 dt. 22/4/92.

- (b) Vice-President of the National Open School Society shall be the Minister of State for Education, Government of India and will chair the General Body Meetings in the absence of President.
- (c) Education Secretary, Department of Education, MHRD.
- (d) Joint Secretary, Department of Education, Ministry of Human Resource Development dealing with National Open School Society.
- (e) Chairman of the National Institute of Open Schooling.
- (f) **** (deleted)
- (g) Secretary of National Institute of Open Schooling who will be ex-officio, the Secretary of the Society.
- (h) All Heads of Departments of the National Institute of Open Schooling
- (i) Financial Adviser, MHRD, Government of India.
- (j) Director, NCERT
- (k) Director, NIEPA.
- (l) Chairman, CBSE.
- (m) Three Nominees, not below the level of Joint Secretary, one each from the Ministry of Information and Broadcasting, Doordarshan and All India Radio.

- (n) Nominee not below the level of Joint Secretary, Department of Women and Child Welfare.
- (o) Vice-Chancellor, IGNOU
- (p) Director General of the National Literacy Mission.
- (q) Nominee not below the level of Joint Secretary of the Ministry of Welfare.
- (r) Nominee not below the level of Joint Secretary of the Ministry of Labour.
- (s) Secretary Education, Delhi Govt. (NCT) of Delhi.
- (t) Director/Head of one of the SOS/Correspondence School/Vice-Chancellor of State Open University by rotation.
- (u) Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan.
- (v) Director, Navodaya Vidyalaya Samiti.
- (w) Vice-Chancellor of one of the Women's Universities.
- (x) Two representative from industries to be nominated by MHRD on the recommendation of National Institute of Open Schooling.
- (y) All the members of the Executive Board, not included above.
- (z) Two educationists, to be nominated by MHRD on the recommendation of National Institute of Open Schooling.

5. Terms of Membership

- (a) The term of office of the ex-officio members will be coterminus with their holding their official position.
- (b) The term of office of the rest of the members will be for a period of three years. Fresh appointment (other than those for filling in interim vacancies) will be made in April.
- (c) Should any person who is a member of the General Body or of a Committee, by reason of the office or appointment he holds, be prevented from attending any meeting of the society, he shall be at liberty to authorise a representative to take his place at that meeting. Such a representative shall have all the rights and privileges of a member, but for that meeting only.
- (d) All outgoing members other than the ex-officio members, shall be eligible for re-appointment.
- (e) A member of the Society other than the ex-officio member, shall cease to be a member, if:
 - Such a member resigns or becomes of unsound mind or becomes insolvent or be convicted of an offence involving moral turpitude; or
 - He does not attend three consecutive meetings without obtaining leave of absence.
- (f) A resignation of membership of the Society shall be tendered to the Chairman and shall take effect only after it has been accepted by the General Body. Any vacancy

in the membership of the Society caused by any of the reasons mentioned above may be filled up by the authority appointing such member and the person so appointed in the vacancy shall hold office only for the duration of the remaining term of the member in whose place the appointment was made.

- (g) Any person who ceases to be a member of the Society, shall ipso facto cease to be a member of any of the committees of the Society.
- (h) The Society shall function notwithstanding any vacancy and notwithstanding any defect in the appointment or nomination of any of its members and no act or proceeding of the Society shall be invalid merely by reason of the existence of any vacancy therein or of any defect in the appointment or nomination of its members.
- (i) The General Body shall continue to function till such time fresh nominations are made against the non-ex-officio positions.
- (j) The General Body and the Executive Board shall be constituted with the approval of the Government of India.

6. Powers and Functions of the General Body

(a) The General Body shall have, vested with it, the responsibility to assist the Society by providing sound and professional advice and council; it will generate a vision and give broad policy directions to the Society;

- (b) It shall receive and critically examine and comment on the annual Review Report of the Society;
- (c) It will receive and approve the annual budget of the Society;
- (d) In general, the General Body, will help ensure that the Society will remain publicly accountable and that it exercises its powers and functions in consonance with the Mission and objectives of the Society and within the frame work of the Normative National Documents.

7. Meetings.

- (a) An annual Meeting of the General Body shall be held, at a date and time, to be decided by the President during which the Chairman will submit the annual Review Report as well as the Audited Accounts of the Society and the budget estimates for the following year;
- (b) The President shall ordinarily Chair the General Body meetings. However, in his absence the Vice-President shall Chair the meetings;
- (c) The meeting shall be convened, as directed by the President on the advice of Chairman under the signature of the Secretary, National Institute of Open Schooling.
- (d) The President on the advice of Chairman may convene a special meeting of the Society if he thinks fit or if such a meeting is requisitioned by eight or more members in writing;

- (e) Ten members or one-third, whichever is less, present in person shall form a quorum at every meeting of the Society;
- (f) All disputed points at meetings shall be determined by vote. Every member of the Society shall have one vote each and in case if a tie, the President shall have the right to casting vote;
- (g) The President on the advice of Chairman may invite if considered necessary for furtherance of aims and objectives of National Institute of Open Schooling, a person or persons to participate in the deliberations of the meetings of the Society, provided that such a person(s) shall not have the right to vote.

8. The Powers and Functions of the Executive Board

- (a) In general, the Executive Board will have, vested with it, all the powers of the Society, to manage its affairs and to enable it to function smoothly and effectively. It shall, however, exercise these powers within the context of the Mission and Aims and Objects of the Society and the advice it receives from the General Body.
- (b) Specifically, the following will be the substantive powers and functions of the Executive Board:
 - Forward Planning of Policies and Programmes of Actions;
 - Taking appropriate Decisions;
 - Ensuring Effective Implementation;
 - Exercising the Review Function.

- (c) The Executive Board shall have the following members:
 - Chairman of the National Institute of Open Schooling, who will also be Chairman of the Executive Board;
 - ****(deleted)
 - Secretary of National Institute of Open Schooling who will be the Member Secretary;
 - Heads of all the Departments of National Institute of Open Schooling
 - Nominee of Department of Education, Ministry of Human Resource Development and nominee of Integrated Finance Division of Ministry of Human Resource Development; One specialist from each of following areas:
 - Distance Education
 - Development Education
 - Development and Education of Women
 - Industry
 - Media
 - Technology
 - Vocational/Technical Education
 - Adult Education

9. Meetings

The Executive Board shall hold meetings, as required but it shall meet at least twice a year.

The quorum for the meeting will be one third of the total membership.

10. Bye-Laws

- (a) The Executive Board shall have the power to make and frame bye-laws, in consonance with the Memorandum of Association and Rules and Regulations of the Society and to add, alter, amend or rescind the same time to time, for the administration and management of the affairs of the Society.
- (b) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, such bye-laws may provide for the following matters:
 - i) For the preparation and sanction of Budget estimates, the sanctioning of expenditure, making and execution of contracts, the investment of the funds of the Society and the sale or alteration of such investment, and account and audit;
 - Define the powers, functions and conduct of business of the various Committees, as are constituted by it from time to time and the terms of office of their members;

- For creating various categories of posts, academic, administrative, technical, supervisory or ministerial and for selecting and appointing persons to such posts;
- iv) To frame Service Rules for the proper administration of the Society and of its personnel, including terms of tenure of appointments, emoluments, allowances, rules of discipline and other conditions of service of the employees of the Society as well as measures and norms for the welfare of the members of the Society;
- v) For the establishment and management of funds, grants and allowances;
- vi) To select a seal for the Society and provide for its safe custody and for proper use of the seal;
- vii) To provide buildings, premises, furniture and apparatus and other necessary equipments and facilities for carrying out the work of the Society;
- viii) For all other matters, as may be necessary for the furtherance of the objectives of the Society and for the proper administration of its affairs;
- ix) Until it frames its own bye-laws for the governance of its affairs, it may adopt, for the interim period, the Rules applicable in the Central Board of Secondary Education, New Delhi or another.

- (c) Amendments to Memorandum of Association and Rules and Regulations, made under section 10 (a) shall not come into effect, without the prior approval of the Government of India.
- (d) The bye-laws framed under Section 10 (b) will come into effect, as soon as they are approved by the Executive Board.
- (e) Subject to these Rules and Regulations, the Executive Board or a person whom the Executive Board shall authorise, in this behalf, shall have the power to appoint all categories of officers and staff for conducting the affairs of the Society and to fix the amount of remuneration subject to budget provision and to define their duties.
- (f) The Society may delegate to the Chairman of the National Institute of Open Schooling or to any of its members such administrative and financial powers and impose such duties as it deems proper and also prescribe limitations within which the said powers and duties are to be exercised or discharged.
- (g) The accidental omission to give notice of any meeting of the Society to a member or the non-receipt of such notice by any person entitled to receive such notices shall not invalidate the proceedings of that meeting.
- (h) The members of the Society or of the Executive Board or of other Committees shall not be entitled to any remuneration from the Society. The non-official members of the Committees appointed by the Society shall,

however be paid travelling allowance and daily allowance as may be provided for in the bye-laws, to be made in this behalf, for purpose of attending the meeting of the Society or for any business of the Society.

11. Appointment, Powers and Responsibilities of the Chairman

- (a) The Chairman of the National Institute of Open Schooling shall be appointed by the Government of India on such terms and conditions as the Government may decide for a tenure of 5 years or attaining the age of 62 years whichever is earlier.
- (b) As the Chief Executive of National Institute of Open Schooling his areas of responsibilities will lie in the following:
 - Providing leadership in generating ideas;
 - Building a cohesive team out of the senior executives and academic staff of the National Institute of Open Schooling and take measures to foster team spirit and a high level of motivation;
 - Ensuring that there is a careful nurture of the work ethos and high standards of excellence, in all the Departments and in every item of work done by the National Institute of Open Schooling;
 - Providing facilitation and support *** (deleted) to the Heads of Departments for personal and professional

development, specifically to assist them and work with them to evolve policies and programmes of action, to take appropriate decisions, to ensure proper implementation and to organise regular review meetings;

- Delegating to the *** (deleted), Secretary and Heads of Departments specific area responsibilities and thus make them share the tasks and responsibilities of top management;
- In brief, ensuring that the Aims and Objects and through them, the Mission of the Society are attained in fuller and fuller measure.

12. Powers and Responsibilities of the Vice-Chairman

*****(Deleted)

13. Powers and Responsibilities of the Secretary

The Secretary will be Administrative Head of the Society and shall exercise all those specific powers and responsibilities that are delegated to him by the Chairman and as specified in the Bye-Laws.

As Heads of the Department of Administration and Accounts, he will exercise these powers in accordance with the norms given in section 14.

14. Powers and Responsibilities of the Heads of Departments

The following are the powers and responsibilities of the Heads of Departments:

- To evolve, alongwith his team members in the Department, draft policies and programmes of action for the Department, both short term and long term. While these would vary, according to the nature of the different Department, each Department would be required to identify specifically the tasks, task-schedules and necessary collaboration with other Departments etc:
- When such policies and programmes are approved by the appropriate authority, to organise the resources of the Department to ensure effective implementation;
- To build a team of committed members in the Department, out of all the members and of all categories;
- To sanction expenditures, according to approved norms and within the powers delegated to him;
- To take personal responsibility to develop seconds and thirds in the Department, through delegation of specific responsibilities, and through specific assignments to those within the Department;
- To provide opportunities for personal and professional development of the staff of the department of various categories viewing this as a major responsibility.
- To be the Member-Secretary of the meetings held in the Department;
- To exercise all other powers and assume all other responsibilities not inconsistent with the delegation of

powers or with the furtherance of the objects and tasks in other Departments or with the Aims and Objects and the Mission of the Society;

- To ensure that one's Department would work in collaboration with other Departments;
- To exercise the necessary supervision, within the
 Department so that all the members abide by the Rules,
 Regulations and directives contained in the bye-laws both
 those applicable to the National Institute of Open
 Schooling as a whole and those specifically applicable to
 the particular Department.

15. Suits by and against the Society

The Society may sue and be sued in the name of the Secretary of the Society.

16. Contracts and Agreements

All contracts and agreements for and on behalf of the Society shall be signed by the Secretary of the Society.

*17. Accounts and Audit

(i) The Society shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare annual accounts comprising of the Receipt and Payment Account, Statement of Liabilities and Assets, in such form as may be prescribed by the Government of India, in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

- (ii) The Accounts of the Society shall be audited annually by the Comptroller and Auditor General or by any other person appointed by him in this behalf and expenditure incurred in connection with the audit of accounts of the Society shall be payable by the Society.
- (iii) The Comptroller and Auditor General or any other person appointed by him in this behalf shall have the same rights, privileges and authority in connection with the audit and accounts of the Society as with accounts of other similar autonomous institutions of the Government.
- (iv) The Accounts of the Society, duly audited by the Office of the Comptroller and Auditor General of India shall be forwarded annually to the Government of India and the Government shall cause the same to be laid before the House of Parliament within nine months of the close of the accounting year of the Society.

*18. Annual Report

The Society shall submit annually to the Govt. of India, a report of its working, together with the Audit Report, on its accounts, for the previous year, in both English and Hindi Versions, for laying them, within nine months of the close of the accounting year, on the table of both Houses of Parliament.

19. Dissolution of the Society

In the event of the dissolution of the Society, according to the

^{*(}Approved by the Govt. of India vide letter No. 5-23/92-Sch.3 dated 17/7/92)

resolution of the Government of India, it will be done, as per provision of section 13 of the Societies' Registration Act (XXI of 1860), after getting prior permission from the appropriate authority of the Government.

20. Application of the Act

All the provisions under all the Sections of the Societies' Registration Act, 1860 as applicable to the Union Territory of Delhi shall apply to the Society.

21. Essential Certificate

Certified that this is the correct copy of Rules and Regulations of the Society.

Sd/- Sd/- Sd/- (Chairman) (Secretary) (Member)